

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार शिक्षा(ग्रुप-2) के पत्र क्रमांक-प.19(04)शिक्षा-2/2019 जयपुर दिनांक-09.02.2021 द्वारा श्री महेश चन्द्र जोशी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोटा टाण्डा, घाटोल, बांसवाडा को "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग द्वारा संचालित माणिक्य लाल वर्मा आदिम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में व्याख्याता के पद पर लगाये जाने की अनुमति की पालना में श्री जोशी को प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान जाती है।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 13.2.2021

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/बी-4/प्रतिनियुक्ति/वो-11/2010

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 शिक्षा राज्यमंत्री, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर।
5. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय) माध्यमिक बांसवाडा।
6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
7. प्रभारी बी-1/11।
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर